

## प्रेस नोट दिनांक- 11.03.2026

### **थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।**

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-  
थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 04 जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-  
अभियुक्त पर जनपद प्रतापगढ़ में लूट, धोखाधड़ी, विस्फोटक पदार्थ अधि० जैसे गंभीर अपराध पंजीकृत है-

अभियुक्त को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत गंगा पुत्री पुल सई नदी के पास ग्राम शकूहाबाद से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री आदित्य कुमार सिंह के नेतृत्व में उ०नि० सुमित कुमार वर्मा मय हमराह कां० बाबूलाल यादव, कां० राजकिशोर व का० राजकुमार सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत गंगा पुत्री पुल सई नदी के पास ग्राम शकूहाबाद से 01 अभियुक्त शुभम पुत्र गिरिजाशंकर निवासी ग्राम तिना चितरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को 04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के पास से 04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज की बरामदगी के संबंध में थाना लीलापुर में मु०अ०सं० 54/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. शुभम पुत्र गिरिजाशंकर निवासी ग्राम तिना चितरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त शुभम पुत्र गिरिजाशंकर निवासी ग्राम तिना चितरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु०अ०सं० 361/16, धारा 394/411/419/420/467/468/471 भादवि, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

02. मु०अ०सं० 315/25, धारा 324(2)/351(3)/352 बीएनएस, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

03. मु०अ०सं० 54/26, धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 सुमित कुमार वर्मा मय हमराह कां0 बाबूलाल यादव, कां0 राजकिशोर व का0 राजकुमार सिंह थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

**थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।**

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त शिवलाल सरोज को किया गया गिरफ्तार -

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत नरई नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री मनोज कुमार तोमर के नेतृत्व में उ0नि0 उमाशंकर सिंह मय हमराह का0 विजय चौहान, का0 रामनरेश जाट व चालक का0 रामनिवास द्वारा मु0अ0सं0 28/2026 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम थाना संग्रामगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त, 1.शिवलाल सरोज पुत्र राम सेवक नि0 नरई नेवानी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत नरई नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. शिवलाल सरोज पुत्र राम सेवक नि0 नरई नेवानी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष।

01.अभियुक्त शिवलाल सरोज पुत्र राम सेवक नि0 नरई नेवानी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 94/12, धारा 147/427/447 भादवि, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 245/24, धारा 61(2)/190/191(1)/191(2)/352/353/132/221/285 बीएनएस व 7 CLA ACT, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 उमाशंकर सिंह मय हमराह का0 विजय चौहान, का0 रामनरेश जाट, का0 रामनिवास थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

## थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता : युवक की हत्या का खुलासा, मुख्य आरोपी सद्दाम गिरफ्तार, हत्या में प्रयुक्त पिस्टल बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में दिलीपपुर पुलिस, स्वाट टीम व सर्विलांस सेल की संयुक्त कार्यवाही में हत्या के अभियोग से संबंधित अभियुक्त सद्दाम गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त पिस्टल व कारतूस बरामद-

हत्या के मुख्य आरोपी को थाना क्षेत्रान्तर्गत चौखड़ा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया-  
अभियुक्त पर जनपद प्रतापगढ़ के कोतवाली नगर व दिलीपपुर में हत्या, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराध पंजीकृत है-  
गोली मारकर युवक की हत्या के मामले में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध थाना दिलीपपुर में अभियोग दर्ज किया गया था-

प्रतापगढ़।

दिनांक 09.03.2026 को वादी निवासी ग्राम अचलपुर कादीपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ के भाई को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने की सूचना वादी के गांव के चाचा को मोबाइल फोन के माध्यम से प्राप्त हुई। सूचना मिलने पर वादी अपने अन्य पड़ोसियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां वादी के भाई का शव पड़ा हुआ मिला तथा मौके पर पुलिस पहले से ही मौजूद थी। प्रथम दृष्टया अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सुनियोजित ढंग से हत्या किया जाना प्रतीत होता है। इस संबंध में थाना दिलीपपुर पर मु0अ0सं0 46/26 धारा 103 (1) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

सूचना प्राप्त होते ही उच्चाधिकारीगण द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट, स्वाट टीम एवं स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही विधिवत की गई।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विभिन्न पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा घटनास्थल से प्राप्त भौतिक साक्ष्यों, तकनीकी विश्लेषण एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के आधार पर अभियुक्तों की शिनाख्त एवं गिरफ्तारी हेतु सतत एवं प्रभावी प्रयास किए जा रहे थे।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण/ नेतृत्व में थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री बलराम सिंह मय हमराह म0उ0नि0 सारिका व उ0नि0 रमिल कुमार, उ0नि0 अनुपम पटेल, हे0का0 सुभाष, का0 जगदीश, कां0 आशीष कुमार, का0 आनन्द प्रकाश यादव मय चालक का0 विनोद यादव व स्वीट टीम प्रभारी उ0नि0 श्री अमित कुमार चौरसिया, उ0नि0 दिनेश सिंह, हे0का0 मोहितराज यादव, का0 जागीर सिंह, का0 अरविन्द दुबे, का0 सलमान मय चालक का0 राजेन्द्र कुमार, सर्विलांस सेल से हे0का0 पंकज लहरी, का0 सनोज, का0 संजय यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मु0अ0सं0 46/26 धारा 103 (1) बीएनएस थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त सद्दाम पुत्र स्व0 शान मोहम्मद नि0ग्रा0 अचलपुर कादीपुर थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को घटना में प्रयुक्त 01 अदद पिस्टल 32 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस के साथ थाना क्षेत्रान्तर्गत चौखड़ा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद पिस्टल 32 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया, जिसके संबंध में उक्त अभियोग में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

**पूछताछ का विवरण-**

गिरफ्तार अभियुक्त सद्दाम ने पूछताछ में बताया कि एक वीडियो व फोटो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें आगे मृतक नि0ग्रा0 अचलपुर कादीपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ बैठकर गाड़ी चला रहा है और पीछे मैं बैठा हुआ था, चूंकि मेरे द्वारा दिनांक 09.03.2026 को दिन में आसिफ उपरोक्त को पैसा देने की झूठी बात बताकर उसे चौखड़ा गांव के जंगल में सुनसान जगह पर ले गया जहाँ पर किसी को न आता देख और मौका पाकर मैंने गाड़ी के पीछे बैठे-बैठे ही उसके सिर में दो गोली मारी जिससे मौके पर हम दोनो मोटर साइकिल सहित गिर गये तथा वादी के भाई की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। मैं वहाँ से अपने साथी सन्दीप गुप्ता पुत्र रामआसरे जो कि बादशाहपुर जनपद जौनपुर का रहने वाला है जिसको मैंने वादी के भाई की हत्या करने के लिए बुलाया था जो कि मेरी अपाची मोटरसाइकिल UP 72 BH 8223 से हम लोगो के पीछे-पीछे आ रहा था। वादी के भाई की गोली मारकर हत्या करने के बाद मैंने मृतक के मोबाईल को उसकी जेब से निकालकर लौटते समय जिरियामऊ पुल से सई नदी में फेंक दिया था और मैं संदीप के साथ ही वापस चला आया। अभियुक्त ने हत्या में प्रयुक्त पिस्टल उसी दिन जिरियामऊ झाड़ में छिपाकर ईटो से ढक दिया था। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पिस्टल को बरामद किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

01. सद्दाम पुत्र स्व0 शान मोहम्मद नि0ग्रा0 अचलपुर कादीपुर थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष।

**आपराधिक इतिहास-**

01. मु0अ0सं0 1129/2020 धारा 188, 269 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।
02. मु0अ0सं0 52/2023 धारा 147,148,420,427,504,506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।
03. मु0अ0सं0 46/26 धारा 103(1) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 01 अदद पिस्टल 32 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया ।

पुलिस टीम का विवरण-

थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री बलराम सिंह मय हमराह म0उ0नि0 सारिका व उ0नि0 रमिल कुमार, उ0नि0 अनुपम पटेल, हे0का0 सुभाष, का0 जगदीश, कां0 आशीष कुमार, का0 आनन्द प्रकाश यादव मय चालक का0 विनोद यादव थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

स्वॉट टीम- स्वॉट टीम प्रभारी उ0नि0 श्री अमित कुमार चौरसिया, उ0नि0 दिनेश सिंह, हे0का0 मोहितराज यादव, का0 जागीर सिंह, का0 अरविन्द दुबे, का0 सलमान मय चालक का0 राजेन्द्र कुमार ।

सर्विलांस सेल- हे0का0 पंकज लहरी, का0 सनोज, का0 संजय यादव ।